

क्रमांक: 2351-C1
सेवा में,

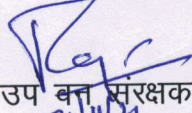
दिनांक: 21/11/2021

मुख्य वन संरक्षक,
दक्षिणी परिमण्डल,
गुरुग्राम।

विषय:- **Diversion of 0.4760 Ha. (Instead of 0.8066 Ha.) of forest land for laying of water pipeline for clear water from Basunda Booster to Daboda, Basunda Booster to Khandewla, Khandewla to Jatola, Fazilpur Badli to Tajnagar, Faridpur to Dhani Ahiran via Karola & Farrukhnagar road to Garhi Nathe Khan,, under Forest Division & Distt. Gurugram. (Proposal No. FP/HR/Water/144418/2021)**

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में नवीनतम हिदायतों अनुसार, आनलाईन प्रस्ताव पर नोडल आफिसर हरियाणा, पंचकूला की स्वीकृति उपरांत प्रयोक्ता एजेन्सी से प्राप्त प्रस्ताव पर एफ0सी0ए0 1980 के तहत कार्यवाही करते हुये स्वीकृति हेतु निम्न विवरण अनुसार 4 प्रतियों में आगामी कार्यवाही हेतु भेजा जाता है।

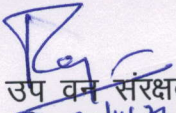
1. प्रस्ताव के कुल 0.4760 है0 सुरक्षित वन भूमि का उपयोग किया जाएगा।
 2. प्रस्ताव को पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है (FP/HR/Water/144418/2021)
 3. प्रस्तावित भूमि में 218 वृक्ष तथा 25 पौधे बाधक है।
 4. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एफ0सी0ए0 1980 के प्रावधानों की उल्लंघना नहीं की गई है,
 5. प्रस्तावित केस में प्रतिपूर्ति पौधारोपण का कार्य **Bandhwari Sec 4 & 5 of PLPA** में करवाया जायेगा।
 6. प्रस्ताव की 4 मूल प्रतियां साथ संलग्न है।
- संलग्न/उपरोक्त


उप वन संरक्षक,
गुरुग्राम।

पृ0 क्रमांक/2352-53-C1
एक प्रति :-

दिनांक/ 21/11/2021

1. उपायुक्त, गुरुग्राम को भेजकर अनुरोध है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 28.10.2014 के सन्दर्भ में तीन प्रतियों में मूल प्रमाण पत्र, मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी करने का कष्ट करें। (FRA Certificate)
2. **Executive Engineer, Public Health Engineering Division, Gurugram, New Colony, Gurugram** को सूचनार्थ प्रेषित है।


उप वन संरक्षक,
गुरुग्राम।